पO संO–14 / डीOएलOएO बेगूसराय (सO स्थO)–49 / 2013–...2957... / राO, पटना–15, दिनांक–17/12/2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

संO.. / राO,पटना / दिनांक ....

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा–गढपुरा, थाना नंO–122, राO थाना–बेगूसराय, परगना–भुसारी, जिला–बेगूसराय में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात –ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह स्थल हेतु भू–अर्जन के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिये पूर्वोक्त ग्राम नंO गढपुरा, थाना नंO–122 के भीतर कमोवेश बीO–x कO–x धुर–x है जो–0.71 एकड़ के बराबर होता है। भूखण्ड जिसमें –x एकड बंजर तथा–0.71 एकड़ कर्षणीय है, अपेक्षित है। जिसका पूर्ण सर्वे खेसरा संO–x तथा आंशिक सर्वे खेसरा संO–3768 है और इसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

उत्तर	सर्वे खेसरा संO 3750
दक्षिण	पूर्व से प्राप्त दान की भूमि आंशिक खेसरा संO 3768 तथा सर्वे खेसरा संO 3773
पूरब	नव निर्मित सड़क
पश्चिम	आंशिक सर्वे खेसरा संO 3768

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1984 की धारा–4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 1,1984 एवं भू–अर्जन संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिनका इस से संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी,बेगूसराय के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भूमि–अर्जन पदाधिकारी के और इनके स्टॉफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे –अंचल अधिकारी,गढपुरा, बेगूसराय के पदाधिकारियों और स्टॉफ को प्राधिकृत करती है,कि भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–2 से तथा संबंधित या यथा निर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर , कृषि योग्य है और जिसका अर्जन तुरत आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा–4 के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा–5 (A) के उपबंध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

समाहर्त्ता
बेगूसराय।

कृO पृO उO

ज्ञा0 सं0–14/डी0एल0ए0 बेगूसराय (स0 स्थ0)–49/2013–2957/रा0, पटना–15, दिनांक–17/12/2013

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ से दैनिक समाचार पत्र, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ/प्रकाशन उपरान्त समाचार की प्रतिलिपि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को प्राप्त कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, बेगूसराय को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता, बेगूसराय/ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।